

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर


क्रमांक /रीडर/2023/63

दिनांक :- 15.2.23

आदेश

प्रार्थी शिवभगवान पुत्र मन्नाराम जाति जाट निवासी श्रीरामपुरा की आरे से जरिये वकील श्री महेन्द्रकुमार बुरडक के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर.एक्ट के अनुसरण में ग्राम श्रीरामपुरा प0ह0 बनाथला व ग्राम बुच्यासी प0ह लिखमाकाबास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 38, 4, 3, 141, 59, 84, 139 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	श्रीरामपुरा प0ह0 बनाथला	38, 4, 3	श्रीकिशन पुत्र मन्नाराम	शिवभगवान पुत्र मन्नाराम
2	ग्राम बुच्यासी प0ह0 बनाथला	141, 59, 84, 139		


(प्रतिभा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़
दिनांक:- 15.2.23

क्रमांक /रीडर/2023/63

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री _____ को सूचनाार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावासी।


उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़